पत्रांक–9 / सै0–विविध (प्रतिवेदन)–17 / 2022–854 (9) / रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

जय सिंह,
सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–28.03.2023

विषय :– विभिन्न विभागों द्वारा अपनी स्वामित्व की भूमि एवं विभिन्न उद्देश्यों से अर्जित भूमि तथा सरकारी कार्य हेतु हस्तांतरित भूमि का दाखिल खारिज कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सभी विभागों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा समय–समय पर उनकी मांग के आधार पर सरकारी कार्य हेतु हस्तांतरित भूमि एवं भू–अर्जन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई भूमि तथा विभागों के स्वामित्व की भूमि का दाखिल खारिज अपने–अपने विभाग के नाम से ससमय नहीं कराया जाता है, जिससे ऐसी भूमि पर अतिक्रमण तथा अन्य कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

अतएव अनुरोध है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आपके विभाग को सरकारी कार्य हेतु हस्तान्तरित भूमि एवं भू–अर्जन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई भूमि तथा विभागों के स्वामित्व की भूमि का अविलम्ब दाखिल खारिज कराने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

28/3/23

(जय सिंह)
सचिव।

D:\Shail secon-9\2023\letter_(09).doc - 24